RNI No. MAHBIL /2009/31730

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ११, अंक १७] मंगळवार, जुलै ८, २०२५/आषाढ १७, शके १९४७ [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक २८

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

L. A. BILL No. LXXVI OF 2025.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971.

विधानसभा विधेयक क्रमांक ७६ सन् २०२५।

महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १९७१ का महा. २८।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अतः भारत गणराज्य छिहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम ।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (दुसरा संशोधन) अधिनियम, २०२५ कहलाए।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३घ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा ३घ के, खण्ड (ख) के, उप-खण्ड (तीन), धारा १३ की उप-धारा (१) में, "एक सौ बीस दिनों" शब्दों के स्थान में, "साठ दिनों" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा १५ क में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा १५ क की, उप-धारा (१) में :–

(एक) "की समाप्ति से तीस दिनों" शब्दों के पश्चात् " के पूनर्विकास घटक " शब्द निविष्ट किए जायेंगे ;

(दो) विद्यमान परंतुक के पूर्व निम्न परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

परन्तु, जहाँ गन्दी बस्ती प्राधिकरण के संयुक्त उद्यम में गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना या राज्य विधानमंडल या शहरी स्थानीय निकाय, या योजना प्राधिकरण या सरकारी उपक्रमित अभिकरण या, यथास्थिति, किसी अन्य सरकारी कम्पनी द्वारा अधिनियमित किसी विधि के अधीन गठित विधि राज्य सरकार के किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा कार्यान्वित की है, ऐसी गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना का आशय पत्र (एल ओ आय) जारी करने के दिनांक से तीस दिनों के भीतर, राज्य सरकार या मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकेगा कि, ऐसी भूमि इस प्रकार घोषित गन्दी बस्ती पुनर्वास क्षेत्र के रूप में गन्दी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण में निहित होगी : ";

(तीन) विद्यमान परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान में, "परंतु आगे यह कि" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३३ क का प्रतिस्थापना।

४. मूल अधिनियम की धारा ३३ क के स्थान में निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात्, :–

"**३३क.** गन्दी बस्ती निवासियों के संबंध में, जो भवन या संरचना का कब्जा या अधिभोग में है जो गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना या गन्दी बस्ती पुनर्विकास परियोजना का भाग है और जो गन्दी बस्ती पूनर्विकास प्राधिकरण या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकरण द्वारा स्थायी वैकल्पिक आवासस्थान के लिए पात्र माने गए हैं और जो स्वेच्छा से ऐसी योजना या परियोजना में शामिल नहीं होते है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, सक्षम प्राधिकरण,–

योजना या परियोजना में शामिल होने से अन इच्छूक गन्दी बस्ती निवासियों के निवासस्थानों के आबंटन के लिए प्रक्रिया।

(क) यह सुनिश्चित करेगा कि, योजना या परियोजना के पुनर्वास घटक के लिए सन्निर्मित किए जानेवाले भवनों में सभी ऐसे गन्दी बस्ती निवासियों के लिए स्थायी वैकल्पिक आवास के लिए उपबंध किया है ;

(ख) ऐसे गन्दी बस्ती निवासियों को लिखित में यह संसूचित करेगा कि, विकासक द्वारा यथा संसूचित उसी आधार पर ड्रॉ लॉट पद्धति से आबंटन के ज़रिए उनको निवासस्थान दिया जायेगा जो योजना या परियोजना में शामिल है ;

(ग) ऐसे गन्दी बस्ती निवासीयों को यह संसूचित किया जायेगा कि, न्यूनतम १२० स्क्वेअर फीट का संक्रमण निवासस्थान उनको आबंटित किया जा सकेगा या संक्रमण निवासस्थान के बदले में किराये की रक़म गन्दी बस्ती पूनर्वास प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत की जा सकेगी ;

(घ) वहाँ के अधिभोग के अधीन संरचना से ऐसे गन्दी बस्ती निवासियों की बेदखली करने और उन्मूलन आदेश में जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी रीति और ऐसे समय के भीतर ऐसी संरचना या उसके किसी भाग को तोडने का निदेश, जैसा कि आवश्यक हो, ऐसे बल उपयोग से किया जा सकेगा या करने का कारण बनेगा ;

(ङ) ऐसे गन्दी बस्ती निवासियों को लिखित में संसूचित करना है कि, जो स्वेच्छा से ऐसी योजना या परियोजना में शामिल नहीं होते है और जिनके विरूद्ध खण्ड (घ) के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित की है कि, ऐसी कार्यवाही के पश्चात् वे लॉट द्वारा संक्रमण निवासस्थान के लिए या पुनर्निमित निवासस्थान के लिए पात्र नहीं होंगे, परंतु, अन्य निवासियों ने योजना या परियोजना में उनके वैकल्पिक निवास चयनित करने पर जो उपलब्ध है, केवल उसके लिए हकदार रहेंगे ;

(च) ऐसे गन्दी बस्ती निवासियों को लिखित में यह संसूचित करना है कि, यदि वे योजना या परियोजना के प्रथम भवन को भवन अनुमति दी जाने तक योजना या परियोजना में शामिल नहीं होते तो वे किसी निर्मित आवास पर का अपना अधिकार खो देंगे और उनके निवास गन्दी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने हाथ में लिए जायेंगे, और अन्य गन्दी बस्तियाँ जो समायोजित नहीं की जा सकी, को समायोजित करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लायी जायेगी, और वे केवल लगभग ३ मीटर बाय ३.५ मीटर, के केवल पडाव के हकदार होंगे, अन्यत्र यदि और जब उपलब्ध है और उसमें संनिर्माण ऐसे गन्दी बस्ती निवासियों को उनके स्वामित्व पर करना होगा।"।

५. मूल अधिनियम की धारा ३३क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :– सन् १९७१ का महा. २८ में नयी धारा ३३ ख का निवेशन।

"३३ख. (१) गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना या गन्दी बस्ती पुनर्विकास परियोजना के पात्र गन्दी बस्ती निवासियों को मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी ऐसी योजना या परियोजना के विकासक से देय संक्रमण आवासस्थानों के बदले में किराया वसूली के लिए प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाए, ऐसी रीत्या और ऐसी फ़ीस के साथ आवेदन कर सकेगा। विकासकों से किराये की वसुली।

(२) जहाँ मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी, का समाधान हो जाता है कि, किसी गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना या गन्दी बस्ती पुनर्विकास परियोजना के विकासकर्ता ने पात्र गन्दी बस्ती निवासियों को सहमति के अनुसार संक्रमण आवासस्थान के बदले में किराया देने में चूक की है, वहां मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी किसी देय राशि के संबंध में ऐसी जाँच करने के पश्चात्, स्वप्रेरणा से या पात्र गन्दी बस्ती निवासियों से आवेदन प्राप्त होने पर, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसे अनुबद्ध समय के भीतर ऐसी रक़म की वसूली के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

(३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वसूली आदेश में विनिर्दिष्ट रक़म यदि आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विकासक द्वारा अदा नहीं की जाती है, तो यह तत्समय लागू विधि के अनुसार भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसुल किया जायेगा :

परन्तु, यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध वसूली के लिए आदेश जारी किया गया है, वह एक कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी है, जिसके पास वसुली आदेश के अधीन देय रक़म को पूरा करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं है तब ऐसी रक़म ऐसी कंपनी या, यथास्थिति, फर्म के निदेशकों या भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्ति से वसुल की जायेगी।"।

सन् २०२३ का महा. ३३।

६. मूल अधिनियम की धारा ३५ में– सन् १९७१ का महा. २८ की धारा ३५ में संशोधन।

(१) महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शिर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोषण समितियों के नियमों और अधिसूचना के पुनअधिनियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (१क) ८ मार्च २०१७ से उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित की गयी समझी जाएगी ;

(२) महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (संशोधन, शिर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोषण समितियों के नियमों और अधिसूचना के पुनःअधिनियमन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०२३ द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम की धारा ३५ की, उप-धारा (५), ८ मार्च २०१७ से उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित की गयी समझी जाएगी।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

७. महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ में या किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ८ मार्च २०१७ से प्रारम्भ होनेवाले और महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) (शीर्ष और अन्य शिकायत प्रतितोषण समिति के नियमों और अधिसूचना का संशोधन, पूनःअंधिनियमन तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, २०२३ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भण के दिनांक पर समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान शीर्ष शिकायत प्रतितोषण समिति और शिकायत प्रतितोषण समिति द्वारा पारित आदेशों समेत कृत या की गई सभी कृत्यों, कार्यवाहियाँ या बाते, उक्त अधिनियम के अधीन नियम और अधिसूचना के अधीन की गई समझी जायेगी और हमेशा विधि के अनुसरण में सम्यक और वैध रूप से की गई समझी जायेगी मानो कि, संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, उक्त अधिनियम के उपबंध सभी तात्विक समयों पर निरंतर प्रवर्तन में रहे थे और तद्नुसार, उक्त समितियों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार किसी गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना के संबंध में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा कृत सभी कृत्य या की गई कार्यवाहीयाँ या बातें, सभी प्रयोजनों के लिए संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधन, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में हमेशा कृत या की गई समझी जायेगी ।

सन् १९७१ का महा. २७।
सन् २०२३ का महा. ३३।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र गन्दी बस्ती क्षेत्र (सुधार, उन्मूलन और पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ (सन् १९७१ का महा. २८) राज्य में गन्दी बस्ती क्षेत्रों का कार्यान्वयन और उन्मूलन करने और उनके पुनर्विकास और अधिभोगियों को बेदखली से तथा अभिहरण अधिपत्र से संरक्षण देने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम में गन्दी बस्ती पुनर्वास परियोजना के साथ-साथ, गन्दी बस्ती पुनर्विकास परियोजना के कार्यान्वयन के लिये भी उपबंध किया है। इस अधिनियम के उपबंधों में स्पष्टता लाने के लिए उक्त अधिनियम में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

२. प्रस्तावित संशोधनों की मुख्य विशेषताएँ यथा निम्न है,—

(एक) धारा १३ की उप-धारा (१) के अधीन भूमि के पुनर्विकास के लिए गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना के संरक्षित और अन्य अधिभोगियों के स्थानांतरण और पुनर्वास के लिए आवश्यक अवधि एक सौ बीस दिनों से घटाकर साठ दिन करना ;

(दो) जहाँ किसी लोकप्राधिकरण द्वारा, शहरी स्थानीय निकाय, योजना प्राधिकरण, सरकारी उपक्रमित अभिकरण या कोई अन्य सरकारी कम्पनी द्वारा गन्दी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण के साथ संयुक्त उद्यम में गन्दी बस्ती पुनर्वास योजना कार्यान्वित की है उस बारे में गन्दी बस्ती पुनर्वास भूमि गन्दी बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण में निहित करने और उसके पश्चात्, ऐसी सरकारी या अर्ध-सरकारी अभिकरणों को उक्त भूमि पट्टे पर देने के लिए धारा १५ क में उपबंध करना ;

(तीन) पात्र मलिनबस्ती निवासियों के निवासस्थानों के आंबटन के लिए प्रकिया विस्तृत करने के लिए धारा ३३ क में यथोचित संशोधन करना ;

(चार) विकासक से देय भू-राजस्व के किसी बकाये के रूप में संक्रमण आवासस्थान के बदले में किराए की रक़म की वसुली के लिए धारा ३३ख के अधीन उपबंध करना।

३. प्रस्तूत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित ७ जुलाई, २०२५।

एकनाथ शिंदे,
उप-मुख्यमंत्री (गृहनिर्माण)।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए निम्न प्रस्ताव अंतर्ग्रस्त है, अर्थात् :—

खण्ड ३ (दो). इस खण्ड के अधीन, अधिनियम की विद्यमान धारा १५क की, उप-धारा (१) में परन्तुक जोडना है, जिसका आशय जहाँ किसी लोक प्रधिकरण या नगर स्थानीय निकाय के साथ गन्दी बस्ती पूनर्वास प्राधिकरण के संयुक्त उद्यम द्वारा गन्दी बस्ती पूनर्वास योजना कार्यान्वित की गई है, के बारे में गन्दी बस्ती पूनर्वास भूमि, गन्दी बस्ती पूनर्वास प्राधिकरण में निहित करने के लिये **राजपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषित करने का अधिकार या राज्य सरकार या राज्य सरकार के अनुमोदन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी को होंगे।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के है।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन :
मुंबई,
दिनांकित ८ जुलाई, २०२५।

जितेंद्र भोळे,
सचिव-१,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE.